

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 2014—आषाढ़ 13, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. 11907-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11, सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 4 जुलाई, 2014 को पुरस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव इसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१४

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा ६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा ६ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) में, अंक और शब्द “२,५०,००० रुपये” के स्थान पर, अंक और शब्द “५,००,००० रुपये” स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, अंक और शब्द “१०,००,००० रुपये” के स्थान पर, अंक और शब्द “१,००,००,००० रुपये” स्थापित किए जाएं।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में भू-सम्पत्ति के बाजार मूल्य मे अनेक गुना वृद्धि हुई है। इसी दौरान, मुद्रा स्फीति के दबाव के कारण रूपये का मूल्य अत्यधिक नीचे गिर गया है। भू-सम्पत्ति के मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण बहुत कम संख्या में सिविल वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालयों में फाइल किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी धन संबंधी अधिकारिता की सीमा क्रमशः २,५०,००० रुपये और १०,००,००० रुपये तक ही है। परिणामतः कई सिविल वाद जिनमें भू-सम्पत्ति से संबंधित विवाद अन्तर्वर्तित हैं, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में फाइल किए जा रहे हैं, जहां पहले से ही अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों का बहुत अधिक भार है।

२. वादियों को आसानी से न्याय प्राप्त करने में मदद देने की दृष्टि से यह समीचीन समझा गया है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक की धन-संबंधी अधिकारिता की सीमाओं में यथोचित वृद्धि की जाए। इससे जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया जाना और आसान हो जाएगा और जिला स्तर पर वादियों को अधिक न्याय प्राप्त होगा। अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा ६ में यथोचित संशोधन द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के न्यायालय की धन-संबंधी अधिकारिता की सीमा को रूपये २,५०,००० से रूपये ५,००,००० तक तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालय की धन-संबंधी अधिकारिता को रूपये १०,००,००० से रूपये १,००,००,००० तक बढ़ाया जाए।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १६ जून, सन् २०१४

कुसुम सिंह महदेले
भारसाधक सदस्य।